**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 3063**
**गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## वाणिज्यिक एयरलाइनों में तकनीकी खराबी

**3063. श्री एस. जगतरक्षकनः**
**डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:**
**डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा रिपोर्ट की गई तकनीकी खराबी की घटनाओं की कुल संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार प्रणालीगत रखरखाव या नियामक निगरानी के मद्देनजर बार-बार होने वाली खराबियों से उत्पन्न जोखिम का आकलन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में बेहतर निरीक्षण, पायलट प्रशिक्षण, एयरलाइनों को जारी की गई रखरखाव निर्देश या प्राथमिकता संपरीक्षा सहित उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं;

(घ) क्या इस संबंध में वाणिज्यिक एयरलाइनों से कोई प्रतिक्रिया मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितनी जांचे पूरी हुई हैं तथा जिम्मेदार पाई गई एयरलाइनों पर कितनी शास्ति लगाई गई और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) एयरलाइन सुरक्षा नियमों को मजबूत करने, खराबी ठीक करने के तरीकों को बेहतर बनाने और भविष्य में सुरक्षा में चूक को रोकने के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए गए हैं?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क): वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई विमानों में तकनीकी खराबियों का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ख): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा रिपोर्ट की गई अभियांत्रिकी सांख्यिकीय रिपोर्ट (ईएसआर) और दोष रिपोर्ट का विश्लेषण करके इन खराबियों की निगरानी करता है।

(ग) से (ङ): उचित सुधार सुनिश्चित करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एयरलाइनों द्वारा डीजीसीए को रिपोर्ट की गई सभी खराबियों का अन्वेषण किया जाता है। अन्वेषण के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि खराबी लापरवाही या बेपरवाह रवैये के कारण अथवा तकनीकी कार्मिकों की जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण हुई थी, तो डीजीसीए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

कुल 12 अन्वेषण पूरे हो गए हैं और एयरलाइनों द्वारा उल्लंघन के संबंध में डीजीसीए द्वारा 12 प्रवर्तन कार्रवाई की गई है। 7 मामलों में, एयरलाइनों पर वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।

(च): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास निगरानी और ऑडिट के लिए सुव्यवस्थित संरचना विद्यमान है, अर्थात संगठन/विमान की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों की निरंतर निगरानी सहित सभी प्रचालकों के लिए नियमित और आवधिक ऑडिट, औचक जांच, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो डीजीसीए अपनी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

| **क्र.सं** | **एयरलाइन** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025 (नवंबर तक)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **मेसर्स एलाइंस एअर** | 04 | 03 | 07 | 51 | 01 |
| **2.** | **मेसर्स इंडिगो** | 179 | 215 | 246 | 46 | 101 |
| **3.** | **मेसर्स स्पाइसजेट** | 170 | 143 | 47 | 23 | 35 |
| **4.** | **मेसर्स टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड (विस्तारा)** | 85 | 97 | 79 | 44 | एअर इंडिया के साथ विलयन |
| **5.** | **मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड** | 76 | 64 | 63 | 253 | 44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एअर इंडिया एक्सप्रेस | | | | | 95 |
| **6.** | **मेसर्स अकासा एयर** | - | 06 | 06 | 04 | 60 |
| **7.** | **मेसर्स स्टार एयर** | **-** | - | 71 | 51 | 46 |
| | **कुल** | **514** | **528** | **519** | **472** | **382** |

**अनुलग्नक– I**

******